संख्या– 2501 /xxxi(13)G-37 (सू0अ0)/2012

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादूनः दिनांक 23 जुलाई, 2012

विषयः– सहायक लोक सूचना अधिकारियों के दायित्वों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में शासन के संज्ञान में लाया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत योजित अपीलों एवं शिकायतों के निस्तारण के दौरान कतिपय लोक प्राधिकारियों के स्तर पर यह अनियमितता परिलक्षित हुई है कि उनके द्वारा नामित सहायक लोक सूचना अधिकारियों द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्रों को किसी अन्य लोक सूचना अधिकारी को अंतरित करने, आवेदनकर्ताओं से प्रतिलिपिकरण/अतिरिक्त शुल्क की मांग करने अथवा स्वयं अपने हस्ताक्षरों से ही सूचना देने के कार्य भी किये जा रहे हैं, जबकि यह कार्य लोक सूचना अधिकारी के द्वारा ही सम्पादित किया जाना चाहिए। उक्त स्थिति नितांत गंभीर एवं आपत्तिजनक है तथा संगत अधिनियम के प्राविधानों के सम्मत नहीं है, जिससे अनावश्यक अवांछित स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं।

उपरोक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 की उपधारा (1) में लोक सूचना अधिकारी तथा उपधारा (2) में सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किये जाने व उसके कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में प्राविधान निहित हैं, जबकि धारा 5 की उपधारा (3) में लोक सूचना अधिकारी के दायित्व निर्धारित हैं। सुलभ संदर्भ के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 की उपधारा (1), (2) व (3) में निहित प्राविधान नीचे उद्धरित किये जा रहे हैं:--

5.(1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर सभी प्रशासनिक एककों या उसके अधीन कार्यालयों में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित करेगा, जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हों।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमंडल स्तर या अन्य उप जिला स्तर पर, यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए आवेदन या अपील प्राप्त करने और उसे तत्काल, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना

अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केन्द्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग को भेजने के लिए, पदाभिहित करेगा:

परन्तु यह कि जहां सूचना या अपील के लिए कोई आवेदन यथास्थिति, किसी केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है, वहां धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उत्तर के लिए अवधि की संगणना करने में पांच दिन की अवधि जोड़ दी जायेगी।

(3) यथास्थिति, प्रत्येक, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्यवाही करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा।

उपर्युक्त से स्वतः स्पष्ट है कि सहायक लोक सूचना अधिकारी का दायित्व आवेदन या अपील प्राप्त करने और उसे तत्काल लोक सूचना अधिकारी अथवा धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या राज्य सूचना आयोग को भेजने का है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 की उपधारा (3) के प्राविधानों से स्वतः स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा ही आवेदकों को सूचना सुलभ करायी जायेगी और सूचना की मांग करने वाले व्यक्ति के अनुरोधों पर कार्यवाही की जायेगी।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार अपनी अधिकारिता में रहने हेतु अपने अधीन समस्त लोक सूचना अधिकारियों और सहायक लोक सूचना अधिकारियों को उनके दायित्वों के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की संगत धारा की उपधाराओं में निहित प्राविधानों के अनुसार स्पष्ट कर दिया जाये तथा समस्त सहायक लोक सूचना अधिकारी को भी यह स्पष्ट कर दिया जाय कि वह अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन लोक सूचना अधिकारी के रूप में कार्य न करते हुए उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसार ही कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव

संख्या– /xxxi(13)G-37 (सू0अ0)/2012, तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बड़ोनी)
अनु सचिव